

प्रेषक,

नीता चौधरी,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ०प्र०, लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 20 फरवरी, 2022

विषय:- कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post facto) के अन्तर्गत जनपद हाथरस में नगला उम्मेद-नगला भुस मार्ग (अन्य जिला मार्ग) (पुराना हाथरस-आगरा मार्ग) किमी० 03 चैनैज 2.243 की बांयी पटरी पर खसरा सं०-10 में मै० इण्डियन ऑयल कार्पो० लि० द्वारा न्यू रिटेल आउटलेट के सम्पर्क के निर्माण हेतु 0.069777 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में। (प्रस्ताव FP/UP/Approach/44699/2022)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र सं०-2260/11-सी-FP/UP/Approach/44699/2022, दिनांक 06.01.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post facto) के प्रकरण में दोषी संस्था के विरुद्ध कृत कार्यवाही का विवरण दिया गया है किन्तु दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही का विवरण/प्रस्ताव नहीं दिया गया है। कृपया वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश दिनांक 29.01.2018 में विहित व्यवस्था के अंतर्गत दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही का विवरण/प्रस्ताव शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(नीता चौधरी)
उप सचिव

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक-2721/11सी-FP/UP/Approach/44699/2022 दिनांक, लखनऊ, फरवरी 22, 2023

प्रतिलिपि- वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा उपरोक्त बिन्दुवार वांछित सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को तत्काल तीन प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा बिन्दुवार वांछित सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को तत्काल तीन प्रतियों में वन संरक्षक के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि- मुख्य प्रबन्धक(रिटेल सेल्स) इण्डियन ऑयल कार्पो० लि०, आगरा मण्डल, कार्यालय 65/2, संजय प्लेस, आगरा-282002 (यू०पी०) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,

उ०प्र०, लखनऊ।